ग्राम पंचायत कौना विकास खण्ड सुलह जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग—एक

1. प्रस्तावनाः—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कौना विकास खण्ड सुलह जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत कौना में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः—

प्रधान :—

1	श्रीमति सीमा देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :—.

1	श्री प्रवीण कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

ग्राम पंचायत कौना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का सक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेषों में अन्तर पाया जाना ।	0.64

2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	37.46
3	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.61
4	7.1	बिवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना ।	0.04
5	8	ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना अनियमित व्यय/भुगतान	3.51
6	9	दोहरी हाजरी का लाभ अर्जित करना	0.01
7	10	प्रिया सॉफट तथा मैनुअल संधारित लेखों में अन्तर पाया जाना ।	7.25

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत कौना, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 05.11.2024 से 16.11.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022–2023	03/2023	09/2022
2023–2024	03/2024	06/2023

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):-</u> इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. **अंकेक्षण शुल्क** :–

ग्राम पंचायत कौना विकास खण्ड सुलह जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹ 4000/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 454 दिनांक 16.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. **वित्तीय स्थिति** :–

ग्राम पंचायत कौना विकास खण्ड सुलह द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत कौना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022.23	379626.55	72845.00	20849.00	473320.55	32951	440369.55
2023.24	440369.55	108490.71	21889.00	570749.26	20590	550159.26

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत कौना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022–23	3737116	2481162.22	78003	6296281.22	2731155.22	3565126
2023–24	3565126	1488297.47	90920	5144343.47	1398220.47	3746123

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC ,15th FC, NBA, Tourism, WDF			
A/c No. 20059021819	KCCB Thural	Own Source, NBA, VKVNY, RGSA, ZP	842167.13

A/c No. 50056139956	KCCB Thural	14th FC		1674859.52
A/c No. 50100358478490	HDFC Sulah	15th FC		1574672.8
A/c No. 50056139945	KCCB Thural	5th State		81572
A/C No. 50056230562	KCCB Thural	SDP		46159
A/c No. 32135028958	SBI Thural	WDF		141118
cash in hand				0
			Total	4360548.45

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)			550159.26
Cash Book Balance on 31.03.2024	PS		173
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC		354845
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY		1462
Cash Book Balance on 31.03.2024	14TH FC		1674859
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC		1545561
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP		24151
Cash Book Balance on 31.03.2024	RAY		3857
Cash Book Balance on 31.03.2024	MPLAD		141118
Cash Book Balance on 31.03.2024	RGSA		97
		Total	4296282.26
		diffrence	-64266.19

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹ 0.64 लाख का अन्तर पाया जाना :–

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2024 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹64,266/– पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय वित्तीय स्थिति नहीं

दर्शाता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 455 दिनांक 16.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 70/2024 दिनांक 22.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अन्तर के कारणों बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.1 पंचायत के लेखे खातों का रख रखाव नियमानुसार न करना :--

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय-व्यय का लेखांकन PRIA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 456 दिनांक 16.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 70/2024 दिनांक 22.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

4.2 निर्देशानुसार अलग-अलग स्कीमों के लिए अलग-अलग बैंक खाते न खोलनाः-

निदेशक, पंचायत राज के पत्र सख्यां PCH-HA(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.12 में दिये गये निर्देशों अनुसार अलग-अलग स्कीमों के लिए अलग-अलग खाते खोले जाने अपेक्षित है ।

पंचायत द्वारा खाता क व ख के अन्तर्गत Own Source, NBA, VKVNY, RGSA, ZP स्कीमों के लिए हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के प्रावधान का उल्लघंन करते हुये एवं उपराक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के विरूद्ध एक ही बैंक खाता संख्या 20059021819 के0सी0सी0बी0 खोला गया था जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज विभाग के निर्देशों की अवहेलना हुई अपितु खातावार/स्कीमवार प्राप्त अनुदान ब्याज व भुगतान/व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में समुचित पुष्टि नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 457 दिनांक 16.11.2024 द्वारा इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 70/2024 दिनांक 22.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि भविष्य में उक्त निर्देशानुसार खाते खोलने बारे ध्यान रखा जायेगा।

अतः निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने के कारणों से अवगत करवाते हुये तुरन्त प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त पत्र मे वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये ।

5. **निवेश :—**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के कुशल प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है । दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की सभा निधि में **₹** 5,50,159/—की राशि शेष थी।

अतः परामर्श दिया जाता है कि प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि जमा में निवेश किया जाना

सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. अनुदान राशि ₹ 37.46 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹ 37,46,123/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अर्न्तगत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यो को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व ₹ 0.61 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) 2002 के नियम 33 के प्रारूप 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की

गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹ 50/– परिशिष्ट–2 के अनुसार प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का गृहकर ₹ 60,600/– वसूली हेतु शेष था :–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022–2023	150900	21500	172400	67000	105400
2023–2024	105400	21500	126900	66300	60600

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढाने एवं नियमित कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। यदि पंचायत राजस्व की बकाया राशि इसी तरह बकाया रहती रही तो एक समय पर इसे संग्रहित करना असम्भव हो जायेगा ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 458 दिनांक 16.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 70/2024 दिनांक 22.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेगें तथा बकाया राशि ₹60,600/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः पूर्व उल्लेखित प्रावधानों के दृष्टिगत पंचायत राजस्व की इतनी अधिक राशि के परादेय होने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.1 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि ₹ 0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0070–60–108–01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ **3,825/–** प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :–

क्र0सं0	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि**
1	2022–23	1800.00
2	2023–24	2025.00

विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 459 दिनांक 16.11.24 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 70/2024 दिनांक 22.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति, नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

8. खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹ 3.51 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे :–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा

जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा, परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अन्तर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों / विक्रेताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फार्म एक्स या डब्ल्यू जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–3** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फार्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को चुनिंदा मासों के दौरान ₹ 3,50,638 /– की राशि का अनियमित भुगतान एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते है।

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 460 दिनांक 16.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के पत्र संख्या 70 / 2024 दिनांक 22.11.2024 द्वारा सूचित किया कि फार्म एक्स व डब्ल्यु प्राप्त नहीं किये गये है । अतः भविष्य में उक्त फार्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण सन्तोषजनक नहीं पाया गया ।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरूद्ध एवं समय–समय पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया

जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

9. दोहरी हाजिरी का लाभ अर्जित करने के कारण ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करना ।

निदेशक, हि0 प्र0 पंचायती राज विभाग के पत्र सख्या PCH(1)5/2009-II-Instruction-67441-532 दिनांक 05.11.2019 के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि यदि पंचायत सदस्य द्वारा एक ही दिनांक को दो जगह हाजरी लगाने का प्रकरण सामने आता है तो ऐसे में पंचायत सदस्य के विरूद्ध धनराशि की वसूली सहित निलम्बन तथा पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत पदाधिकारियों द्वारा ग्राम पचांयत बैठक व मनरेगा मस्ट्रोल मे एक ही दिन निम्न विवरणानुसार दोहरी हाजरी का लाभ अर्जित किया गया था जोकि उक्त पत्र के दिशा निर्देशों की अवहेलना है, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 461 दिनांक 16.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 70/2024 दिनांक 21.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अधिक किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

क्र0सं0	पंचायत सदस्य का नाम	मस्ट्रोल सं0 व अवधि	मस्ट्रोल व पंचायत बैठक में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)	मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि(₹)
1	श्रीमति बिन्दू देवी	2449, 01.07.23 से 15.07.23	11.07.23	500	240

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति, नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

10. प्रिया सॉफट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹7.25 लाख की राशि के अन्तर बारेः—

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ—साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई—पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफटवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा था तथा जो खाते प्रिया सॉफटवेयर में बनाये जा रहे थे, उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹ 7,25,287.25 की राशि का निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गयाः—

31.03.2024 को प्रिया साफ्टवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	50,21,569.51
31.03.2024 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	42,96,282.26
अन्तर	₹	7,25,287.25

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 461/1 दिनांक 16.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 70/2024 दिनांक 22.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफट तथा मैनुअल लेखों को ठीक करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

11. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राकल्लन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे ।

हि0प्र0 पंचायती रात (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार कनिष्ठ अभियन्ता स्तर पर करवाये गये विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में किये गये कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर पर व्यय, खपत एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जोकि लेखा परीक्षा के प्रति न सिर्फ उदासीनता को परिलक्षित करता है अपितु निर्माण कार्यों में हुए व्यय को भी सन्देहजनक बनाता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 461/2 दिनांक 16.11.2024 द्वारा अवगत करवाया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्याः 70/2024 दिनांक 22.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त कार्य प्रगति पर हैं । अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर नियमों के प्रतिकूल एवं तथ्यरहित होने के कारण सन्तोषजनक नहीं है।

अतः हि0प0 पंचायती रात (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) की अनुपालना सुनिश्चित न करने के कारणों से अवगत करवाते हुये अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

1	नि0 शौचालय सामुदायिक भवन तलीनू CMSC
2	नि0 उठाऊ सिंचाई योजना 15वाँ वित्तायोग

12. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया के अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने के चलते किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के रिसन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
3	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)

13. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में

अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

14. **लघु आपत्ति विवरणिका** :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

15. **निष्कर्ष** :–लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

801-805 04 FEB 2025
का0 / 50

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)451 / 2025–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्यवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत कौना, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0 / 50

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Kona" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	ZP	100000	0	0	100000	99827	173
2	5 SFC	76968	271100	2196	350264	192450	157814
3	VKVNY	0	100000	0	100000	0	100000
4	14TH FC	1960189	0	50665	2010854	385437	1625417
5	15TH FC	1134510	610478	19193	1764181	272295	1491886
6	NBA/SBM	162176	49884	1061	213121	213121	0
9	SDP	43555	70000	1242	114797	66279	48518
10	Tourism	0	140000	0	140000	136143	3857
11	WDF	133718	0	3646	137364	0	137364
14	RGSA	126000	44497		170497	170400	97
16	MNREGA	0	1195203.22	0	1195203.22	1195203.22	0
	Total Rs.	3737116	2481162.22	78003	6296281.22	2731155.22	3565126

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Kona" for the year ended 2023-24

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	ZP	173	0	0	173	0	173
2	5 SFC	157814	454670	2408	614892	260047	354845
3	VKVNY	100000	25000	0	125000	123538	1462
4	14TH FC	1625417	0	49442	1674859	0	1674859
5	15TH FC	1491886	233280	33954	1759120	213559	1545561
6	NBA/SBM	0	0	0	0	0	0
9	SDP	48518	0	1362	49880	25729	24151
10	Tourism	3857	0	0	3857	0	3857
11	WDF	137364	0	3754	141118	0	141118
14	RGSA	97	0	0	97	0	97
16	MNREGA	0	775347.47	0	775347.47	775347.47	0
	Total Rs.	3565126	1488297.47	90920	5144343.47	1398220.47	3746123

Balance as per Bank on 31.03.2024

1 Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, GRDY,MMGPY,SDP,RAY,MPLAD,RGSA,SDRF,IWMP,Livelihood,

A/c No. 20059021819	KCCB Thural	Own Source, NBA, VKVNY, RGSA, ZP	842167.13
A/c No. 50056139956	KCCB Thural	14th FC	1674859.52
A/c No. 50100358478490	HDFC Sulah	15th FC	1574672.8
A/c No. 50056139945	KCCB Thural	5th State	81572
A/C No. 50056230562	KCCB Thural	SDP	46159
A/c No. 32135028958	SBI Thural	WDF	141118
cash in hand			0
		Total	4360548.45

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		550159.26
Cash Book Balance on 31.03.2024	PS	173
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC	354845
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY	1462
Cash Book Balance on 31.03.2024	14TH FC	1674859
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC	1545561
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP	24151
Cash Book Balance on 31.03.2024	RAY	3857
Cash Book Balance on 31.03.2024	MPLAD	141118
Cash Book Balance on 31.03.2024	RGSA	97
	Total	4296282.26
	diffrence	-64266.19

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कोना
वि०ख० सुलह स्थित भेड़ू महादेव
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

(16)

हस्ताक्षर

Financial Position of Own sources in r/o GP Kona

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	379626.55	72845	20849	473320.55	32951	440369.55
2023-24	440369.55	108490.71	21889	570749.26	20590	550159.26

Checked

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कोना
वि0ख0 सुलह स्थित भेड़ू महादेव
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

हस्ताक्षर Seema Dev

परिशिष्ट-2
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 के सन्दर्भ में)

List of outstanding Property tax for the period of 2022-23 & 2023-24 in r/o GP Kona **Distt.Kangra,H.P.**

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-23	150900	21500	172400	67000	105400
2023-24	105400	21500	126900	66300	60600
	Rate 50/- Per Annum				

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कोना
वि0ख0 सुलह स्थित भेड़ू महादेव
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

हस्ताक्षर Seema Devi

परिशिष्ट-3
(औचक्का प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8 के सन्दर्भ में)

GRAM PANCHAYAT KONA DEV.BLOCK SULAH 2022-23 & 2023-24

SR.NO.	HEAD	NAME OF WORK	BILL NO.	VENDOR NAME	BILL DATE	PAYMENT DATE	TILES(NO.)	SAND (CFT)	AGGRIGATE(CFT)	BOULDER (CFT)	BRICKS(NO.)	GATKA	AMOUNT
1	MNREGA	निर्माण सुरक्षा दीवार/डंगा कृष्णा देवी पत्नी मस्त राम वार्ड न-4(2022-23	413	VIJAY TRADERS	20/08/2022	12/9/2022	0	220	275	0	0	0	15455
2	MNREGA	निर्माण रास्ता सेवी से लेकर अर्जुन व् पवन कुमार के घर तक पेवर ब्लाक वार्ड न०-1(2022-23)	198	PATHANIA TILES	10/8/2022	9/9/2022	3650	0	0	0	0	0	40150
3	MNREGA	निर्माण रास्ता हिमाल चंद के घर से कुलज मंदिर तक(पेवर ब्लाक)कोना-2(2022-23)	6	PATHANIA TILES	23/09/2022	23/09/2022	750	0	0	0	0	0	24000
4	MNREGA	निर्माण पक्का जीप रोड लिंक रोड उमरी से अनिल के घर तक(2022-23)	380	VIJAT TRADERS	15/04/2022	12/9/2022	0	360	720	0	0	0	34560
5	MNREGA	निर्माण रास्ता अशोक के घर से सरकारी नल तक कोना-2(2022-23)	417	VIJAT TRADERS	20/08/2022	12/9/2022	0	100	195	0	0	0	9682.5
6	MNREGA	निर्माण सड़क टम्बर से लेकर कडोरे तक वार्ड न-5(2022-23)	410	VIJAT TRADERS	10/6/2022	12/9/2022	0	600	700	0	0	0	49750
			411	VIJAT TRADERS	20/07/2022	12/9/2022	0	650	200	0	0	0	31775
			412	VIJAT TRADERS	10/8/2022	12/9/2022	0	200	650	0	0	0	31775
7	14TH F.C	निर्माण स्टोर पंचायत घर(14th f.c)(2022-23)	442	VIJAY TRADERS	25/11/2021	14/09/20222	0	125	170	0	0	0	9760
8	14TH F.C	कम्पलीशन ऑफ स्टोर पंचायत घर(14th f.c)(2022-23)	443	VIJAY TRADERS	22/07/2022	14/09/2022	0	75	35	0	0	0	3834
9	15TH F.C	निर्माण वाटर टैंक घर्थून वार्ड न-3(15TH F.C)(2022-23)	414	VIJAY TRADERS	22/08/2022	3/9/2022	0	115	250	0	0	0	11997
	15TH F.C	निर्माण वाटर टैंक घर्थून वार्ड न-3(15TH F.C)(2022-23)	445	VIJAY TRADERS	20/08/2022	14/09/2022	0	85	100	0	0	0	9177
10	MNREGA	निर्माण सुरक्षा दीवार/डंगा बबली देवी पत्नी राकेश कुमार की जमीन में वार्ड न-5(2023-24)	550	VIJAY TRADERS	11/10/2022	28/06/2023	0	165	25	0	0	0	5972
11	MNREGA	निर्माण सुरक्षा दीवार/डंगा सुरेश कुमार के मकान के साथ तम्बर-5	562	VIJAY TRADERS	28/10/2022	28/06/2023	0	165	25	0	0	0	5972
12	MNREGA	निर्माण गौउशाला राकेश कुमार वार्ड न-2(2023-24)	478	VIJAY TRADERS	5/2/2023	21/06/2023	0	0	0	0	800	0	7000

19

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कोना
वि०ख० सुलह स्थित भेड़ू महादेव
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

हस्ताक्षर Seema Devi
दिनांक

13	MNREGA	भूमि कटाव रोकने हेतु क्रेट कच्चा व् पक्का डंगो का निर्माण वार्ड न-3(2023-24)	539	VIJAY TRADERS	10/2/2023	23/06/2023	0	0	0	1000	0	0	30500
14	MNREGA	भूमि कटाव रोकने हेतु क्रेट कच्चे व् पक्के डंगे का निर्माण वार्ड न-2(2023-24)	479	VIJAY TRADERS	7/2/2023	23/06/2023	0	0	0	360	0	0	10980
15	MNREGA	भूमि कटाव रोकने हेतु क्रेट कच्चे व् पक्के डंगे का निर्माण वार्ड न-5(2023-24)	540	VIJAY TRADERS	5/3/2023	23/06/2023	0	0	0	600	0	0	18298
						TOTAL							**350637.5**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कोना
वि0ख0 सुलह स्थित भेड़ू महादेव
जिला [illegible]

हस्ताक्षर Seema Devi
दिनांक

20